

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] नई र No. 310] NEW DELH

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2018/श्रावण 25, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2018/SHRAVANA 25, 1940

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

फा. सं. 34–36/आरआईएफडी/मूक्स द्वारा एफडीपी/2017–18.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10.(1).(i) और (v) के साथ पठित धारा 23 की उप−धारा (i) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :-

संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता एवं आरंभ :				
1	इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (कैरियर उन्नित योजना (सीएएस)) (डिग्री/डिप्लोमा) विनियम, 2018 कहा जाएगा।			
2	ये विनियम सभी अभातिशप अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं सहित विश्वविद्यालयों एवं अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों एवं अन्य क्षेत्रों पर लागू होंगे जैसाकि परिषद् द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाता है।			
3	ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।			

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं] विनियम, 2010 'सामान्य' शीर्ष के अन्तर्गत खण्ड (xviii) के प्रावधान के अनुसार विभिन्न कैडरों में उच्च ग्रेड वेतन में सभी उन्नित में दो अभातिशप अनुमोदित पुनश्चर्या कार्यक्रमों, जो कि दो सप्ताह से कम की अवधि के न हों तथा दो टीईक्युआईपी प्रायोजित कार्यक्रमों (प्रत्येक एक-एक सप्ताह के) को पूरा करने के अध्यधीन प्रभावी होंगी।

आगे, यह भी कि समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी, 2016 के "विविध मुर्दे" शीर्ष के अन्तर्गत स्पष्टीकरण संख्या 59 के अनुसार अभातिशप / यूजीसी / मा.सं. विका.मंत्रालय / डीएसटी / राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित दो कार्यक्रमों, (प्रत्येक एक-एक सप्ताह का) को भी टीईक्यूआईपी कार्यक्रमों का विकल्प माना जाएगा।

अब, आगे यह भी अधिसूचित किया जाता है कि वे संकाय सदस्य जो एनपीटीईएल (मूक्स रीति के माध्यम से) द्वारा प्रदान किए जा रहे उच्च (एडवांस) पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तथा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं, उन पर भी कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अंतर्गत संकाय उन्नति हेतु विचार किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी संवर्धन अध्ययन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (नैपटैल) विभिन्न अवधि के प्राथमिक (बेसिक) और उच्च (एडवांस) स्तरीय पाठ्यक्रमों को ऑनलाईन उपलब्ध कराता है। संकाय सदस्यों द्वारा इन उच्च (एडवांस) पाठ्यक्रमों को आरंभ करके सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् ही नैपटैल एवं अभातशिप द्वारा संयुक्त प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

जबिक नैपटैल का मूक्स (व्यापक मुक्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम) पूर्ण अविध का प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है जैसा कि नियमित एफडीपी होता है, उनकी समकक्षता नियमित एफडीपी के अनुरूप निम्न रूप से मानी जा सकती है :-

4786 GI/2018 (1)

क्रम संख्या	नैपटैल पाठ्यक्रमों के सप्ताहों की	प्रत्येक सप्ताह	सम्मिलित होने के कुल	नैपटैल पाठ्यक्रमों की नियमित एफडीपी से
	संख्या	व्याख्यान	घंटें	समकक्षता
1.	4	3	12	एक सप्ताह के लिए 1/2 एफडीपी
2.	8	3	24	एक सप्ताह के लिए पूरा एफडीपी
3.	12	3	36	1 1/2 एफडीपी

- (i) नैपटैल पाठ्यक्रमों में प्रतिभागिता करने के इच्छुक अभातिशप अनुमोदित डिग्री/डिप्लोमा संस्थानों के संकाय नैपटैल पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करें तथा पाठ्यक्रमों में हिस्सा लें।
- (ii) नैपटैल प्रत्येक सैमेस्टर के लिए उच्च (एडवांस) स्तर के पाठ्यक्रम को देने के लिए उत्तरदायी है।
- (iii) नैपटैल मूक्स (व्यापक मुक्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम) एक नियमित असाइनमेंट होगा तथा इसके अंत में व्यक्तिगत परीक्षा होगी। नैपटैल द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा संयुक्त रूप से (नैपटैल एवं अभातिशप) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र केवल उन प्रतिभागियों को जारी किया जाएगा जिन्होंने उस कार्यक्रम में भाग लिया हो तथा परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हो।
- (iv) संकाय सदस्य जो सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, सीएएस के तहत पदोन्नित के लिए ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्रो. आलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य सचिव, अभातशिप

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 185 / 18]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2018

F. No. 34-36/RIFD/FDP through MOOCs/2017-18.—In exercise of powers conferred under sub-section (i) of Section 23 read with Section 10.(1).(i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations: -

Short Title Application and Commencement:					
1	These Regulations may be called the "All India Council for Technical Education Regulations, 2018 (Career Advancement Scheme) (Degree/Diploma)."				
2	They shall apply to all technical institutions approved by the AICTE and Universities including institutions deemed to be University imparting technical education and such other courses/programmes and areas as notified by the AICTE from time to time.				
3	They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.				

As per provisions vide clause (xviii) under head 'General' laid down in 'All India Council for Technical Education (Pay Scales, Service Conditions and Qualifications for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions (Degree) Regulations, 2010', all advancements to higher grade pay in various cadres, will be effected subject to completion of two AICTE approved refresher programs of not less than two weeks' duration each and two one week each TEQIP sponsored programs.

Further, as per **clarification No.59** under the caption 'Miscellaneous issues' laid down vide notification dated 4th January, 2016, two programs of one week each AICTE/UGC/MHRD/DST/State Govt. sponsored programs may also be considered as an alternative to TEQIP programs.

Now, it is further notified that those faculty members who successfully complete advanced courses offered by NPTEL (through MOOCs mode) and obtain the certificate, shall also be considered for faculty promotions under CAS.

National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) offers online basic and advanced level courses of different durations. Faculty members undertaking and completing such advanced courses successfully are only issued joint certification by NPTEL and AICTE.

Since MOOCs (Massive Open Online Courses) of NPTEL are not full time training programs like regular FDPs, their equivalence to regular FDPs, shall be considered as under:

Sl. No.	No. of weeks of NPTEL Courses	Lectures per week	Total No. of Hrs. of engagement	Equivalence of NPTEL courses with regular FDP
1.	4	3	12	½ FDP of one week
2.	8	3	24	Full FDP of one week
3.	12	3	36	1 ½ FDP

- (i) Faculty from AICTE approved Degree/Diploma institutions who wish to participate in the NPTEL courses, will register themselves on NPTEL portal and undergo the courses.
- (ii) NPTEL is responsible for offering advanced level courses for every semester.
- (iii) NPTEL MOOCs (Massive Open Online Courses) will have regular assignments and in-person examination at the end. A test will be conducted by NPTEL and jointly (NPTEL and AICTE) signed certificates will be issued to only those participants who attend the programme and qualify tests.
- (iv) Faculty members who successfully complete the course, would be able to produce such certificates for promotions under CAS.

Prof. A. P. MITTAL, Member Secy., AICTE [ADVT.-III/4/Exty./185/18]